HAPUR POLICE

प्रेस नोट

थाना - पिलखुवा **दिनांक 17.02.2026**

थाना पिलखुवा पुलिस ने थानाक्षेत्र में स्वयं को गोली लगवाने की घटना के मास्टरमाइंड (अभियुक्त/मजरुब वीरपाल) को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 09.02.26 को वादिया प्रीती सैनी पत्नी वीरपाल सैनी निवासी मौ0 साकेत रेलवे रोड थाना पिलखुवा जनपद हापुड द्वारा थाना पिलखुवा पर तहरीर दी गई थी कि दिनांक 07.02.2026 की रात्रि में मनोज पुत्र बबली निवासी ग्राम छिजारसी थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पति वीरपाल को तमंचे से गोली मारने की घटना कारित की गई है जिसके आधार पर थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत किया गया एवं विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियोग में नामित मनोज की नामजदगी गलत पायी है तथा मजरुब वीरपाल द्वारा षड्यंत्र रचकर मनोज को झूठे अभियोग में फसाने के उद्देश्य से दिनांक 11.02.2026 को गिरफ्तार अपने साथियों से स्वयं पर गोली चलाये जाने के तथ्य प्रकाश में आये है।

कार्यवाहीः-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 63/26 धारा 109(1), 231 बीएनएस का मास्टरमाइंड अभियुक्त (मजरुब वीरपाल) को धौलाना रोड से गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

वीरपाल सैनी पुत्र पप्पू सैनी निवासी मौ0 साकेत रेलवे रोड कस्बा व थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री विवेक चौहान थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।
2. है0का0 445 संदीप राठी थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।